मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या–६०/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ६२६/२०१२)
श्रीमती विमला आदि बनाम आबिद आदि

२४.११.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती विमला, श्रीमती पुष्पा देवी, सौरभ एवं गौरव द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एफ.ए.एफ.ओ. सं. २२२४/२०१६ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम श्रीमती विमला व ३ अन्य दाखिल हुआ है। उक्त एफ.ए.एफ.ओ. के दौरान परमानंद की मृत्यु हो गयी, जिसके ३वारिसान को पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बनाया गया है, जिनकी संख्या प्रार्थीगण/उत्तरदातागण में है। अतः प्रार्थीगण ने याचना की है कि उक्त प्रकरण में जमाशुदा धनराशि प्रार्थीगण के पक्ष में रिलीज किए जाने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती विमला का शपथपत्र ४सी२ व प्रार्थी गौरव का शपथपत्र ४सी२ /२ व १५सी२, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ.ए.एफ.ओ.सं.२२२४/२०१६ में पारित आदेश दिनाँकित १७.०२.२०२० की प्रमाणित प्रति, परमानंद के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति ६सी१ /३, एम.ए.सी.पी. सं. ६२६/२०१२ श्रीमती विमला बनाम मो० आबिद में पारित डिक्री की सत्यप्रतिलिपि व निर्णय की छाया प्रति, प्रार्थीगण के बैंक खाते की छाया प्रतियॉ व आधार कार्ड व श्रीमती विमला के पेन कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती विमला, प्रार्थी गौरव ने अपने–अपने शपथपत्रों में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा प्रार्थी गौरव ने अपने शपथपत्र में यह भी कथन किया है कि बीमा कम्पनी ने एडमीशन की स्टेज पर ही एवार्ड का रुपया जमा कर दिया था, शेष २५,०००/– रु. भी माननीय उच्च न्यायालय से ट्रांसफर कर दिया गया जो न्यायाधिकरण में वाउचर के जरिए जमा है। उक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धनराशि रिलीज करने में कोई बाधा नहीं है। कार्यालय द्वारा आख्या दी गयी है कि प्रस्तुत प्रकरण में पी.एन.बी. झोकनबाग के स्टेटमेंट के अनुसार पी.एन.बी. झोकनबाग में ४,७४,६१८/–रु. जमा है। प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण के निर्णय दिनाँकित १७.०३.२०१६ की प्रति के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा ३,६०,०००/–रु. मय ७ प्रतिशत ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया है। उक्त एवार्ड की धनराशि में से याची सं. १ श्रीमती विमला को २,००००००/–रु. व सम्पूर्ण धनराशि पर प्राप्त समस्त ब्याज की धनराशि प्राप्त होनी है, जिसमें से १,५०,०००/–रु. उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सर्वाधिक ब्याज देने वाली ३ वर्ष की सावधि जमा योजना में जमा किया जाना था तथा उक्त प्रतिकर की धनराशि में से १,६०,०००/–रु. याची सं. २ परमानंद (वर्तमान में मृतक) के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सर्वाधिक ब्याज देने वाली ३ वर्ष की सावधि जमा योजना में जमा किया जाना था। याची सं. १ व २ के नाम उक्त सावधि जमा धनराशि पर बैंक द्वारा बिना न्यायाधिकरण के आदेश के ऋण नहीं दिया जा सकेगा और न ही उन्हें किसी प्रकार बन्धक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में यह आख्या दी गयी है कि पी.एन.बी. झोकनबाग के स्टेटमेंट के नुसार पी.एन.बी. झोकनबाग में ४,७४,६१८/–रु. जमा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र व शपथपत्रों में यह कथन किया है कि याची सं. २ परमानंद की मृत्यु हो चुकी है तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त एफ.ए.एफ.ओ. के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार याची सं. २ के वारिसान प्रार्थी सं. २ लगायत ४ क्रमशः श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी परमानंद, सौरभ व गौरव पुत्रगण परमानंद बनाये गये थे। समर्थन में याचीगण ने परमानंद के मृत्यु प्रमाणपत्र की छाया प्रति ९सी१ दाखिल की है। प्रार्थीगण ने अपने–अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियॉ भी पत्रावली पर दाखिल की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं. २२२४/२०१७ में पारित आदेश दिनाँकित १७.०२.२०२० की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित स्थगन आदेश निष्प्रभावी हो गया है। चूँकि याची सं. २ परमानंद की मृत्यु हो चुकी है अतः उसके भाग की प्रतिकर धनराशि उसके वारिसान प्रार्थी सं. २ लगायत ४ को बराबर–बराबर अनुपात में तथा प्रार्थी/याची सं.१ श्रीमती विमला के भाग की प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि वे माननीय उच्च न्यायालय के एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश के अधीन व न्यायाधिकरण के आदेश के अनुक्रम में अपने–अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस/नेफ्ट नकद तथा एफ.डी.आर.के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ६२६/२०१२ (प्रकीर्ण वाद सं. ६०/२०२० श्रीमती विमला आदि बनाम आबिद आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:–

Applicant/ petitioner	Amount in Rs.	+ (%of) Interest Accrued on	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.27 13:43:19 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

		Deposited Amount				
1. Smt. Vimla Devi	150000		FD for 3 Years. Carrying highest Interest	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt. Vimla Devi	164618	100	Elect.Mode RTGS/NEFT	12850001001211 06	Panjab National BANK Bamor JHANSI	PUNB0128500
2. Pushpa Devi	53334		FD for 3Years Carrying highest Intrest	___	Any Nationalized Bank	____
2. Saurabh	53333		FD for 3Years Carrying highest Intrest	___	Any Nationalized Bank	____
3. Gaurav	53333		FD for 3Years Carrying highest Intrest	___	Any Nationalized Bank	____
Total	474618	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।